कार्यालय अलीगढ नगर निगम, अलीगढ़।

नगर निगम कर निर्धारण सूची

में

नामान्तरण के लिये आवश्यक प्रपत्र

नगर निगम कर निर्धारण सूची में नामान्तरण विभिन्न परिस्थितियों यथा विक्रय विलेख, पंजीकृत वसीयत, पंजीकृत दान–पत्र, मर0 न्यायालय के आदेश, वारिसान आदि के आधार पर होता है। शासनादेश संख्या–2411/नौ–9–2001–16(2)/93 नगर विकास अनुभाग–9 दिनांक–12 दसम्बर, 2001 एवं शासनादेश संख्या–1939/नौ–9–2002–03 ज/95टी.सी. नगर विकास अनुभाग–9 दिनांक–28 सितम्बर, 2002 के अनुसार पंजीकृत विलेख के आधार पर ही नामान्तरण की कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं। यह एक अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया है, जिसमें निस्तारणकर्ता अधिकारी प्रपत्रों की माँग आवश्यकतानुसार कर सकता है।

समान्यतः नामान्तरण के आधार एवं वाँछित प्रपत्र निम्नानुसार हैं –

क्र.सं.	नामान्तरण का आधार	वाँछित प्रपत्र	टिप्पणी
1	पंजीकृत विलेख के आधार पर	1. पंजीकृत विलेख (विक्रय विलेख, वसीयत, दान–पत्र) 2. इस आशय का फोटोयुक्त शपथ–पत्र कि सम्पत्ति पर आवेदक का ही कब्जा है, काई देयता नहीं है और सम्पत्ति के अविवादित है।	सक्षम प्राधिकारी द्वारा माँग करने पर किसी भी हितबद्ध पक्ष मृत्यु प्रमाण–पत्र की छायाप्रतिं।
2	मा0 न्यायालय के आदेशानुसार	1. मा0 न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति, 2. इस आशय का फोटोयुक्त शपथ–पत्र कि सम्पत्ति पर आवेदक का ही कब्जा है, काई देयता नहीं है और सम्पत्ति के अविवादित है।	सक्षम प्राधिकारी द्वारा माँग करने पर किसी भी हितबद्ध पक्ष मृत्यु प्रमाण–पत्र की छायाप्रतिं।
3	वारिसान के आधार पर	1. वारिसान प्रमाण–पत्र, मृत्यु प्रमाण–पत्र, 2. इस आशय का फोटोयुक्त शपथ–पत्र कि सम्पत्ति पर आवेदक का ही कब्जा है, काई देयता नहीं है और सम्पत्ति के अविवादित है।	यदि सम्पत्ति का पूर्ण या आंशिक भाग किसी भी उत्तराधिकारी को वैध पंजीकृत विलेख के माध्यम से अंतरित नहीं किया गया है तो समस्त वारिसान के नाम अंकित करने की कार्यवाही होगी।
4	अन्य आधार	इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये नामान्तरण आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेख का परीक्षण कर सक्षम अधिकारी द्वारा वाँछित अभिलेख के सम्बन्ध में निर्णय किया जायेगा	-